फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 27.08.2025

एसओजी/सर्विलांस टीम व कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 शातिर अपराधी को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त सिकंदर उर्फ अरूण को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 6000/- रूपये बरामद हुए। पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 192/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सिकंदर उर्फ अरूण पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. सिकंदर उर्फ अरूण पुत्र सुनील उर्फ जगदीश निवासी गिहार कालोनी कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी

घटना का विवरण- दिनांक 27.08.2025 को कोतवाली कायमगंज पुलिस/एसओजी व सर्विलांस टीम ग्राम पितौरा से ग्राम नरसिंहपुर की ओर जाने वाली सड़क व बम्बा पुलिया पर चैकिंग कर रही थी। कुछ समय बाद ग्राम पितौरा से ग्राम नरसिंहपुर की तरफ आने वाली रोड़ पर एक मोटरसाइकिल तेज तफ्तार से आती हुयी दिखाई दी। मोटरसाइकिल के नजदीक आने पर पुलिस पार्टी द्वारा तेज आवाज मे स्वयं को पुलिस बताते हुये उन्हे रुकने का इशारा किया गया, तभी पुलिसकर्मियों को अचानक देखकर मोटर साइकिल सवारों ने अपनी मोटर साइकिल को कच्चे रास्ते बम्बा की तरफ मोड़ने का प्रयास किया, मोटर साइकिल मोड़ते समय हडबडाहट मे स्लिप होकर गिर गयी । मोटरसाइकिल के गिरते ही एक व्यक्ति जो मोटर साइकिल पर पीछे बैठा था वह बाग की तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया तथा मोटर साइकिल चालक द्वारा तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश के बाये़ं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सिकंदर उर्फ अरूण निवासी उपरोक्त बताया। जिसको उपचार हेतु सी0एच0सी0 कायमगंज भेजा गया। सी0एच0सी0 कायमगंज से बदमाश सिकंदर उपरोक्त डा0 राम मनोहर लोहिया जिला चिकित्सालय के लिए रेफर होकर उपचाराधीन एवं खतरे से बाहर है। अभियुक्त उपरोक्त नें बताया कि करीब 01 महीने पहले मैने और मेरे साथी सर्वेश उर्फ सूखा पुत्र स्व0 सूबेदार निवासी ग्राम कोकपुरा थाना फ्रैंड्स कालोनी जनपद इटावा ने रितिक अस्पताल के पास से एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मांगी और मै उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर जैन मंदिर के पास आकर उसकी मोटर साइकिल से उतर गया और रास्ते में मैने उस व्यक्ति की जेब से 50,000/- रूपये जेब काटकर होशियारी से निकाल लिये थे। उक्त चोरी के सम्बन्ध मे कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0-167/25 धारा-303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त सिकंदर उर्फ अरुण उपरोक्त के पास से 01 मोटर साइकिल होण्डा SP 125, 6000/ रूपये नगद, 01 देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 तमंचे की नाल में फंसा हुआ बरामद हुआ। पुलिस मुठभेड के संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-192/2025 धारा-109(1) बीएनएस (पु0 मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम बनाम *01. सिकंदर उर्फ अरूण पुत्र सुनील उर्फ जगदीश निवासी गिहार कालोनी कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी 02. सर्वेश उर्फ सूखा पुत्र स्व0 सूबेदार निवासी ग्राम कोकपुरा थाना फ्रैंड्स कालोनी जनपद इटावा(भागा हुआ) के विरुद्ध कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत किया गया है।* अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- सिकंदर उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मैं अपने दोस्त सर्वेश उर्फ सुखा के साथ मिलकर बैंक व अस्पताल के आसपास घूमफिर कर लोगों को चिन्हित करके बहाना बनाकर उनकी मोटर साइकिल पर बैठकर चालाकी के साथ पैसे की चोरी किया करता हूँ। आज मैं अपने दोस्त के साथ चोरी के फिराक में आया था परन्तु आप लोगों को देखकर भागना चाहा परन्तु हम लोग पकडे जाने के डर से अपने दोस्त सर्वेश उर्फ सूखा के ललकारने पर पुलिस वालो के उपर जान से मारने की नियत से फायर किया है। परन्तु आप लोग तो बच गये लेकिन मेरे गोली लग गयी। साहब गलती हो गयी है। मुझे माफ कर दिया जाये। शेष सफाई मैं अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में दूँगा।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर

3. 01 खोखा कारतूस तमंचे की नाल में फंसा हुआ
4. नगदी 6000/- रूपये
5. 01 अदद मोटर साइकिल घटना में प्रयुक्त

अभियुक्त सिकंदर उर्फ अरूण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 192/2025 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 167/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 396/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रैंड्स कोलोनी जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 360/19 धारा 294 भदवि0 थाना जसवंतनगर जनपद इटावा
5. मु0अ0सं0 299/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना भरथना जनपद इटावा
6. मु0अ0सं0 46/25 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा
7. मु0अ0सं0 350/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना ढकेवर जनपद इटावा
8. मु0अ0सं0 380/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइंस जनपद इटावा
9. मु0अ0सं0 188/19 धारा 379/411 भदवि0 थाना पिनाहट जनपद पूर्वी (कमिश्नरेट आगरा)
10. मु0अ0सं0 11/23 धारा 399/402 भदवि0 थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद
11. मु0अ0सं0 14/23 धारा 4/25 ए एक्ट थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद
12. मु0अ0सं0 323/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी
13. मु0अ0सं0 423/20 धारा 379/411 भदवि0 थाना हरि पर्वत जनपद नगर (कमिश्नरेट आगरा)
14. मु0अ0सं0 405/18 धारा 379 भदवि0 थाना करहल जनपद मैनपुरी
15. मु0अ0सं0 118/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करहल जनपद मैनपुरी
16. मु0अ0सं0 133/20 धारा 188/269/270/435 भदवि0 थाना करहल जनपद मैनपुरी
17. मु0अ0सं0 139/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना करहल जनपद मैनपुरी
18. मु0अ0सं0 160/24 धारा 3/5/25 आबकारी अधि0 थाना करहल जनपद मैनपुरी
19. मु0अ0सं0 727/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद
20. मु0अ0सं0 728/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद
21. मु0अ0सं0 373/21 धारा 307 भदवि0 थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद
22. मु0अ0सं0 375/21 धारा 379/411 भदवि0 थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद
23. मु0अ0सं0 120/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद
24. मु0अ0सं0185/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अनुराग मिश्र
2. उ0नि0 नागेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 अवधेश कुमार
4. का0 कृष्णपाल
5. का विजय गुर्जर
6. का0 गौरव कुमार
7. का0 सचिन कुमार
8. का0 विनित कुमार

एसओजी पुलिस टीम-

1. प्रभारी एसओजी टीम उ0नि0 श्री सचिन चौधरी
2. उ0नि0 राजेश राय
3. हे0का0 करन सिंह
4. हे0का0 बलवीर सिंह
5. हे0का0 चन्द्रशेखर
6. का0 दिव्यांशु
7. का0 विकास
8. का0 धर्मेन्द्र कुमार
9. का0 विनोद कुमार
10. का0 सौरभ धीमान

सर्विलांस पुलिस टीम-

1. प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 श्री संत कुमार कुंतल
2. हे0का0 अनुराग शर्मा
3. हे0का0 सतेन्द्र चौहान
4. हे0का0 संदीप सिंह
5. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेसनोट - सजा

दिनांक-27.08.2025

PWD ठेकेदार शमीम की भरे बाजार गोली मारकर हत्या करने वाला राज्यस्तरीय चिन्हित दुर्दान्त माफिया अनुपम दुबे व अन्य साथी बालकिशन उर्फ शिशु को अन्ततः 30 वर्ष बाद प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख तीन हजार रुपये जुर्मानें की सजा से किया गया दण्डित।

माननीय मुख्यमंमत्री उ0प्र0 योगी श्री आदित्यनाथ जी की जीरो टालरेंस नीति को उ0प्र0 पुलिस ने **डीजीपी महोदय श्री राजीव कृष्ण IPS** के कुशल नेतृत्व में एक बार फिर चरितार्थ किया है। फतेहगढ़ जनपदीय पुलिस ने प्रभावी पैरवी कराकर शासन द्वारा चिन्हित माफिया अनुपम दुबे व उसके साथी को वर्ष 1995 में थाना कोतवाली फतेहगढ़ में पंजीकृत **मु0अ0सं0 333/1995 धारा 147/148/149/302 भादवि0**, जिसमे वादी नसीम पुत्र हनीफ निवासी समधन थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के भाई शमीम ठेकेदार की दिनांक 26.07.1995 को गोली मारकर निर्मम हत्या कर देने के सम्बन्ध में दण्डित कराया गया।

उपरोक्त अपराधी के भय से जनता के लोग इसका विरोध नही कर पाते थे तथा इसके भय के साये में रह रहे थे यदि साहस करके इसके विरूद्ध किसी के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया भी जाता तो उस मुकदमें जनता का कोई व्यक्ति/गवाह मा0 न्यायालय में गवाही देने को तैयार नही होता था माफिया एक संगठित अपराधी की तरह कार्य करके अपने अपराधों को न्याय प्रक्रिया से हमेशा बच जाया करता था। यहां तक कि इसके द्वारा अपने आतंक/भय के बल पर मा0 न्यायालय एवं विभिन्न कार्यालय में अपने विरोध के सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से अभिलेखों को गायब कराने में सफल भी रहा है। पुलिस द्वारा गवाहों को Witness Protection scheme के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गयी। मुकदमे के ट्रायल में कोई अवरोध उत्पन्न न हो और सभी गवाह समय से मा0 न्यायालय में उपस्थित हों, इसका भी विशेष ध्यान रखते हुए सफल पैरवी करायी गयी।

अभियुक्त अनुपम दुबे पुत्र स्व0 महेशचन्द्र दुबे का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 314/1987 धारा 147/452/504 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 323/1987 धारा 147/148/149/307 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 460/1990 धारा 324/323/504 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 66/1991 धारा 147/323/504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं0 94/1991 धारा 307/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं0 277/1991 धारा 307 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
7. मु0अ0सं0 229/1992 धारा 452/504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
8. मु0अ0सं0 230/1992 धारा 147/148/149/452/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
9. मु0अ0सं0 141/1993 धारा 307 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
10. मु0अ0सं0 286/1993 धारा 147/148/149/352/504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
11. मु0अ0सं0 290/1993 धारा 25 आर्म्स एक्ट भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
12. मु0अ0सं0 291/1993 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
13. मु0अ0सं0 357/1993 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
14. मु0अ0सं0 408/1993 धारा 110 जी सीआरपीसी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
15. मु0अ0स0 308/1994 धारा 504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
16. मु0अ0सं0 333/1995 धारा 147/148/149/302 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
17. मु0अ0सं0 392/1997 धारा 307 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
18. मु0अ0सं0 492/1997 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
19. मु0अ0सं0 319/1999 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
20. मु0अ0सं0 503/1999 धारा 223/224/225 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
21. मु0अ0सं0 455/2000 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
22. मु0अ0सं0 30/2002 धारा 110 जी सीआरपीसी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
23. मु0अ0सं0 05/2004 धारा 147/452/392 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
24. मु0अ0सं0 1009/2006 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

वर्तमान सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के अन्तर्गत **श्री आलोक सिंह IPS एडीजी जोन कानपुर** के कुशल निर्देशन तथा पुलिस **उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर** के कुशल पर्यवेक्षण में फतेहगढ़ जनपदीय पुलिस प्रभावी कार्यवाही तथा प्रभावी पैरवी करते हुए दुर्दांत अपराधी/माफिया अनुपम दुबे व शिशु उर्फ बाल किशन पुत्र हृदय निवासी मानिकपुर विशू थाना इकदिल जनपद इटावा को आज दिनांक 27.08.2025 को मु0अ0सं0 333/1995 धारा 147/148/149/302 भादवि0 वाद संख्या 384/2021 माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फर्रूखाबाद कोर्ट संख्या 04 द्वारा प्रत्येक को **आजीवन कारावास व 1,03,000/-(प्रत्येक को एक लाख तीन हजार रुपये के जुर्माने)** की सजा दिलाने मे सफल हुई। उक्त घटना से सम्बन्धित नामित दो अन्य अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है।

दुर्दांत अपराधी अनुपम दुबे पुत्र स्व0 महेश चन्द्र दुबे निवासी ग्राम सहसापुर थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ हाल पता निवासी 1/36 मोहल्ला कसरट्टा थाना फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ द्वारा पहला अपराध वर्ष 1987 में थाना कोतवाली फतेहगढ क्षेत्र में कारित कर अपराध जगत में पदार्पण किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 -314/1987 धारा-147/452/504 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ। इसके उपरान्त अब तक कुल 65 अपराध विभिन्न धाराओं के जनपद फतेहगढ एवं प्रदेश के अन्य जनपदो में पंजीकृत हुए जिनमें मुख्य रूप से हत्या, डकैती, जमीन पर कब्जा, धोखाधडी, रंगदारी वसूली, फिरौती आदि के अपराध है।

दुर्दांत अपराधी/माफिया अनुपम दुबे द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध रुप से बनाये गये **होटल श्री गुरुशरणम पैलेस**, जिसकी पीडब्लूडी द्वारा बिल्डिंग की अनुमानित कीमत 03 करोड 30 लाख 63 हजार 08 रुपये को नगर मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 16.10.2023 को श्री आलोक कुमार सिंह IPS एडीजी जोन कानपुर के कुशल निर्देशन तथा श्री प्रशांत कुमार IPS आईजी कानपुर रेंज के कुशल पर्यवेक्षण में **ध्वस्तीकरण** के लिये विधिक समन्वय बनाया गया और विधिक बाधा को दूर कराया गया तथा पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार द्वारा **ध्वस्तीकरण** की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी थी।

इसके द्वारा अपराध करके अर्जित की गयी सम्पत्ति जो इसके एवं परिवारीजनों व अन्य सहयोगी सदस्यों के नाम थीं यथा- वाहन, जमीन एवं मकान, जिनकी **अनुमानित कीमत लगभग 1,71,09,24,895 (एक अरब इकहत्तर करोड़ नौ लाख चौबीस हजार आठ सौ पचानवे रुपये) है को उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया**। इसके व इसके परिवार के सदस्यों के नाम **08 लाइसेंसी शस्त्र** को निरस्त करा कर थाना हाजा पर जमा कराया गया। फतेहगढ़ पुलिस द्वारा माफिया अनुपम दुबे के विरुद्ध **एनएसए** की कार्यवाही की गयी और उस कार्यवाही को मा0 उच्चन्यायालय इलाहाबाद की तीन सदस्यीय पीठ ने सही भी माना।

इसके अपराधिक इतिहास को देखते हुए फतेहगढ़ पुलिस द्वारा शासन को भेजकर इसे शासन द्वारा चिन्हित माफिया भी घोषित कराया गया था। फतेहगढ़ पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए गैंग **डी-47 गैंग** पंजीकृत कराया गया। इसके गैंग के सभी सदस्यों की हिस्ट्रीशीट खोली जा चुकी है। माफिया अनुपम दुबे वर्तमान समय में मथुरा कारागार में निरुद्ध है।

25. मु0अ0सं0 742/2010 धारा 147/148/149/307/302/34/120बी/404 भादवि व 7 सीएल एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
26. मु0अ0सं0 837/2010 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
27. मु0अ0सं0 121/2021 धारा 110 जी सीआरपीसी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
28. मु0अ0सं0 611/2000 धारा 147/148/149/307 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
29. मु0अ0सं0 93/2012 धारा 188/171एच भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
30. मु0अ0सं0 30/1996 धारा 302/34 भादवि थाना जीआरपी फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़
31. मु0अ0सं0 86/1990 धारा 4/10 बन संरक्षण अधिनियम कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
32. मु0अ0सं0 28/1991 धारा 147/364/506 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
33. मु0अ0सं0 481/1991 धारा 147/506 भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
34. मु0अ0सं0 74/1991 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज।
35. मु0अ0सं0 183/1994 धारा 302/120बी भादवि थाना स्वरूप नगर जनपद कानपुर नगर
36. मु0अ0सं0 291/1995 धारा 279/338/337 भादवि थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।
37. मु0अ0सं0 504/2005 धारा 147/148/149/302 भादवि व 7, सीएल एक्ट थाना बेवर जनपद मैनपुरी।
38. मु0अ0सं0 527/2005 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बेदर जनपद मैनपुरी।
39. मु0अ0सं0 387/1991 धारा 147/148/149/307/302 भादवि थाना बेवर जनपद मैनपुरी।
40. मु0अ0सं0 297/2020 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।
41. मु0अ0सं0 939/2020 धारा 47/148/149/386/307/427/452/504/506/286/327/336/120बी भादवि व 7 एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
42. मु0अ0सं0 349/2021 धारा 504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
43. मु0अ0सं0 355/2021 धारा 504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
44. मु0अ0सं0 525/2021 धारा 395/323/354ख /504/506 भादवि थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।
45. मु0अ0सं0 02/2021 धारा 3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
46. मु0अ0सं0 899/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
47. मु0अ0सं0 557/2022 धारा 386/342/420/467/468/471/506/120बी भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
48. मु0अ0सं0 465/2022 धारा 147/386/447/420/467/468/471/506 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
49. मु0अ0सं0 466/2022 धारा 147/386/447/420/467/468/471/506 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
50. मु0अ0सं0 467/2022 धारा 147/386/447/420/467/468/471/506 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
51. मु0अ0सं0 327/2022 धारा 420/467/468/471/120बी504/506 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
52. मु0अ0सं0 661/2022 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।

53. मु0अ0सं0 427/2022 धारा 448/506 भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
54. मु0अ0सं0 714/2022 धारा 506/389/120बी भादवि थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।
55. मु0अ0सं0 736/2022 धारा 147/420/406/120बी/506/342/384/389 भादवि थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज।
56. मु0अ0सं0 09/2023 धारा 147/148/149/342/386/447/427/506/420/467/468/471 भादवि कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
57. मु0अ0सं0 137/2023 धारा 294/354/376डी/364/323/308/304/120बी भा0द0वि0 व 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।
58. मु0अ0सं0 111/2023 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि व 3(1)द,3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
59. मु0अ0सं0 69/2023 धारा 364/342/386/504/506/34 भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
60. मु0अ0सं0 357/2023 धारा 147/323/506/364ए/386/341/120बी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
61. मु0अ0सं0 377/2023 धारा 147/409/420/332/307/506/419/120बी/342 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
62. मु0अ0सं0 386/2023 धारा 419/465/466/471 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
63. मु0अ0सं0 219/2023 धारा 420/386/506/120बी भादवि कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
64. मु0अ0सं0 41/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
65. मु0अ0सं0 179/2024 धारा 147/148/149/386/364/365/367/323/504/506 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त बालिकशन उर्फ शिशु का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 333/1995 धारा 147/148/149/302 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 714/2004 धारा 302 भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 483/2017 धारा 307 भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
4. मु0अ0सं0 484/2017 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
5. मु0अ0सं0 386/23 धारा 120बी/419/465/466/471 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कमालगंज

दि0-27.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त खुशीराम उर्फ खुशिया पुत्र सुखराम निवासी रूपपुर थाना गुरूसहायगंज जनपद कन्नौज मु0अ0स 74/1999 वाद संख्या 90/1999 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 27.08.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी- श्री राजीव कुमार

को0मो0 हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार हे0का0 मनोज कुमार